

कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक, देवघर।

पत्रांक 802 /

प्रेषक:

जिला शिक्षा अधीक्षक,
देवघर।

सेवा में,

निदेशक,
प्राथमिक शिक्षा,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

देवघर, दिनांक 04/06/2019

विषय :-

ब्लू बेल्ल स्कूल, बावन बीघा, प्र०-देवघर, जिला -देवघर का शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 वर्ग 1-8 तक के संचालन की मान्यता के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुपालन में ब्लू बेल्ल स्कूल, बावन बीघा, प्र०-देवघर, जिला -देवघर से प्राप्त विद्यालय की वर्ग 8 तक की मान्यता संबंधित प्रपत्र-1 एवं संलग्न दस्तावेज अनुसार कार्यालय पत्रांक 386 दिनांक 1-3-2019 के आलोक में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, देवघर-सह -क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, देवघर के द्वारा स्थलीय एवं अभिलेखीय जाँचोपरांत उनके पत्रांक 186 दिनांक 3.6.2019 में मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा की गई है। उक्त आलोक में विद्यालय को वर्ग 8 तक के संचालन की मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है तथा विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन एवं अभिलेखों को पत्र के साथ संलग्न कर भवदीय सेवा में समर्पित की जा रही है। उक्त विद्यालय को सी०बी० एस० ई० नई दिल्ली से वर्ग दशम के लिए मान्यताप्राप्त है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

4/6/19

जिला शिक्षा अधीक्षक,
देवघर।

BLUE BELLS SCHOOL

Prem Kumar
Secretary